



भारत सरकार / Government of India  
परमाणु ऊर्जा विभाग / Department of Atomic Energy  
राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र  
Raja Ramanna Centre for Advanced Technology

☎ (0731) 2488818  
✉ ao3a1@rrcat.gov.in

डाक : केट / PO : CAT  
इंदौर / Indore - 452013

क्र आरआरकेट/प्रशा/जीए-1/दुकान आवंटन/2025/ 748

अप्रैल 22, 2025

आरआरकेट में दुकानों का आवंटन

भारत के राष्ट्रपति की ओर से आरआरकेट में रेस्टोरेंट/ ऑटो गैरेज/ सब्जी/ प्रोविजन तथा बेकरी/ मिल्क बूथ / ब्यूटी पार्लर की दुकानों के मासिक किराए पर आवंटन के लिए निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। दुकानों का आवंटन अधिकतम बोली लगाने वाले को किया जाएगा। इच्छुक व्यक्ति / फर्मस आरआरकेट की अधिकृत वेबसाइट <http://www.rrcat.gov.in> पर दिनांक 25-04-2025 से 15-05-2025 तक निविदा का अवलोकन तथा निविदा दस्तावेज निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। मुहरबंद निविदाएं दिनांक 16-05-2025 को अपरान्ह 15:00 बजे तक या इससे पूर्व लेखा अनुभाग में रखे ड्रॉप बॉक्स में जमा की जा सकती हैं। निविदाएं दिनांक 16-05-2025 को अपरान्ह 16:00 बजे खोली जाएगी।

पूजा जीनवाल  
22/4/2025

(परिवेश जीनवाल)

प्रशासनिक अधिकारी- III(ए1)

राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र, इंदौर



भारत सरकार / Government of India  
परमाणु ऊर्जा विभाग / Department of Atomic Energy  
राजा रामाना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र  
**Raja Ramanna Centre for Advanced Technology**

☎ (0731) 2488818  
✉ [ao3a1@rrcat.gov.in](mailto:ao3a1@rrcat.gov.in)

डाक : केट / PO : CAT  
इंदौर / Indore - 452013

No. RRCAT/Admin/GA-1/Shop Allotment/2024/548

April 22, 2025

**Allotment of Shops in RRCAT**

On behalf of the President of India, tenders are invited for the allotment of Restaurant/ Auto Garage/ Vegetable/ Provision & Bakery/ Milk Booth/ Beauty Parlour/ Boutique shops in RRCAT on monthly rent basis. Shops will be allotted to the highest bidder. Interested persons/ firms may view the tender and download the tender documents free of cost from RRCAT's official website <http://www.rrcat.gov.in> from 25<sup>th</sup> April, 2025 to 15<sup>th</sup> May, 2025. Sealed tenders may be dropped in the drop box kept in Accounts Section on or before 1500 PM on 16<sup>th</sup> May, 2025. Tenders will be opened on 16-05-2025 at 1600 hrs.

  
(Parivesh Jinwal)

Administrative Officer-III(A1)

Raja Ramanna Centre for Advanced Technology, Indore

राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र, आवासीय कॉलोनी में  
दुकान आवंटन हेतु निविदा दस्तावेज

Tender Document for allotment of shop in  
Raja Ramanna Centre for Advanced Technology, Residential Colony, Indore

भारत सरकार  
Government of India  
परमाणु ऊर्जा विभाग  
Department of Atomic Energy  
राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र  
Raja Ramanna Centre for Advanced Technology

इंदौर Indore 452 013

राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र, आवासीय कॉलोनी में दुकान आवंटन हेतु  
निविदा दस्तावेज

Tender Document for allotment of shop in Raja Ramanna Centre for Advanced  
Technology, Residential Colony, Indore

निविदा दस्तावेज आरआरकेट वेबसाईट से डाउनलोड करने की अवधि –  
25 अप्रैल 2025 से 16 मई 2025

Period of downloading tender documents from RRCAT website –  
25<sup>th</sup> April 2025 to 16<sup>th</sup> May 2025

**निविदा का संक्षिप्त विवरण Brief Details of Tender**

01	निविदा प्रपत्र आरआरकेट वेबसाईट से डाउनलोड करने की अवधि / Period of downloading tender document from RRCAT Website	दिनांक 25-04-2025 से 16-05-2025 Dated 25-04-2025 to 16-05-2025	
02	निविदा की विधि / Mode of Tender	ऑफ़लाइन मोड / Offline Mode	
03	निविदा दस्तावेज प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि/ Last date of submission of Tender document	1500 बजे तक /Upto 15:00 hrs. दिनांक /Date 16-05-2025	
04	निविदा खुलने की तिथि तथा समय / Date and time of Opening of Tender	अपरान्ह 1600 बजे दिनांक 16-05-2025/16:00hrs. of 16-05-2025	
05	ईएमडी राशि / EMD Amount	रु. 10,000/-	
06	दुकानों का विवरण / Details of Shops		
	दुकान का विवरण	क्षेत्रफल	
		न्यूनतम लाइसेंस शुल्क प्रति माह	
	1. रेस्टोरेंट / Restaurant	62.18 वर्ग मीटर	रु.12311/-
	2. ऑटो गैरेज / Auto Garage	12.60 वर्ग मीटर	रु.2,785/-
	3. प्रोविजन/बेकरी शॉप / Provision/Bakery shop	18.00 वर्ग मीटर	रु.4,030/-
	4. सब्जी की दुकान/ Vegetable Shop	18.00 वर्ग मीटर	रु.4,030/-
	5. मिल्क बूथ / Milk booth	18.00 वर्ग मीटर	रु.4,030/-
	6. ब्यूटी पार्लर /Beauty Parlor	18.00 वर्ग मीटर	रु.4,030/-

निविदा सूचना सं. -----दिनांक -----के सन्दर्भ में  
आरआरकेट परिसर में रेस्टोरेंट/ ऑटो गैरेज/ सब्जी/ प्रोविजन तथा बेकरी/ मिल्क बूथ / ब्यूटी पार्लर  
/बुटिक ( जो लागू नहीं हो उसे काट दें ) की दुकान आबंटन हेतु निविदा प्रपत्र

प्रेषक

सेवा में

भारत के राष्ट्रपति

द्वारा : प्रशासनिक अधिकारी

राजा रामन्ना प्रगत प्रोद्योगिकी केंद्र

इन्दौर - 452 013

विषय : आरआरकेट में दुकान आबंटन हेतु निविदा ।

महोदय,

निविदा सूचना दिनांक ----- के सन्दर्भ में, मैं एतद द्वारा, आरआरकेट में रेस्टोरेंट/ ऑटो गैरेज/ सब्जी/ प्रोविजन तथा बेकरी/ मिल्क बूथ / ब्यूटी पार्लर/बुटिक की दुकान के आबंटन हेतु अपना निविदा फार्म - 1/फार्म -2 (जो भी लागू हो), आबंटन की संलग्न शर्तों के अधीन निम्नानुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ :-

क्र सं	विवरण	क्या दस्तावेज प्रस्तुत करने आवश्यक है	यहाँ जानकारी प्रदान करें
1	निविदाकर्ता / फर्म का नाम, पूर्ण पता फोन नंबर, ई मेल इत्यादि	नहीं	
2	पिता का नाम (व्यक्ति होने की स्थिति में) अन्यथा मालिक का नाम (फर्म या कंपनी के मामले में )	नहीं	
3	यदि भागीदारी फर्म है : क. भागीदारों के नाम और पते ख. क्या भागीदारी अधिनियम, 1932 के तहत पंजीकृत है, हाँ या नहीं ग. प्रबंध भागीदारों के नाम और हस्ताक्षर	नहीं	
4	दुकान के विवरण जिसके लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा रहा है	नहीं	
5	वेतन एवं लेखा अधिकारी, राजा रामन्ना प्रगत प्रोद्योगिकी केंद्र, इन्दौर के नाम पर बयाना जमा राशि के विरुद्ध रु. 10,000/- का (राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक से जारी) बैंकर्स चेक /डिमांड ड्राफ्ट/एफडी	हाँ	संख्या ..... दिनांक ..... राशि रु. ....

6	स्थायी खाता संख्या (पेन) (पेन कार्ड की प्रति संलग्न करें)	हाँ	
7	आवासीय पते का प्रमाण (यदि बोलीदाता व्यक्ति है तो आधार कार्ड / पासपोर्ट / मतदाता परिचय पत्र / ड्राइविंग लाइसेंस आदि दस्तावेजों में से किसी एक को फोटो और पता प्रमाण के रूप में संलग्न करें)  (यदि बोलीदाता उपरोक्त से अलग है तो कृपया श्रेणी (पब्लिक लिमिटेड / प्राइवेट लिमिटेड / पार्टनरशिप फार्म या स्वामित्व फार्म) का उल्लेख करें और निगमन प्रमाण पत्र संलग्न करें)	हाँ	
8	जी एस टी एन पंजीकरण, यदि हो तो प्रति संलग्न करें	हाँ / नहीं (जैसा भी मामला हो )	
9	उच्चतम शैक्षणिक / पेशेवर योग्यता का उल्लेख करें (प्रति संलग्न करें)	हाँ	
10	पिछले तीन वित्तीय वर्ष के आयकर रिटर्न सहित वर्तमान व्यवसाय का विवरण (यदि कोई हो )		
11	बोलीदाता के प्रधान बैंक खाते का पिछले छः माह का विवरण		
12	प्रासंगिक अनुभव का विवरण, यदि कोई हो ।	हाँ / नहीं (जैसा भी मामला हो)	

निविदाकार के हस्ताक्षर:-----

नाम :-----

पता:-----

मोबाईल न.:-----

1. बोलीदाता फ़ार्म में दिए गए सभी बिन्दुओं को पूर्ण रूप से भरने का ध्यान रखें | अपूर्ण फ़ार्म प्राप्त होने की दशा में उस पर विचार नहीं किया जाएगा |
2. निविदा प्रपत्र के साथ अनुभव प्रमाण पत्र, फर्म पंजीयन प्रमाण पत्र, आधार कार्ड तथा पेन कार्ड की फोटो प्रति तथा अन्य आवश्यक प्रपत्र संलग्न करें | रेस्टोरेंट के लिए एफएसएसएआई/फ़ूड लाइसेंस भी संलग्न करें |
3. यदि कोई सुधार किया है / अथवा लिखे हुए पर पुनः लिखा गया है तो उसे पूर्ण हस्ताक्षर के साथ अनुप्रमाणित करें |
4. न्यूनतम लाइसेंस शुल्क से कम बोली पाए जाने पर निविदा रद्द कर दी जाएगी |

निविदा सूचना सं. -----दिनांक -----

आरआरकेट परिसर में रेस्टोरेंट/ ऑटो गैरेज/ सब्जी/ प्रोविजन तथा बेकरी/ मिल्क बूथ / ब्यूटी पार्लर  
/ बुटिक (जो लागू नहीं हो उसे काट दें) दुकान आबंटन हेतु मूल्य बोली

मैं / हम एतद द्वारा, आरआरकेट में रेस्टोरेंट/ ऑटो गैरेज/ सब्जी/ प्रोविजन तथा बेकरी/ मिल्क बूथ / ब्यूटी पार्लर / बुटिक ( जो लागू नहीं हो, उसे काट दें) की दुकान के आबंटन हेतु आवेदक हूँ और अपनी मूल्य बोली को निम्नानुसार जमा करते हूँ :

1	निविदाकर्ता / फर्म का नाम	
2	पूर्ण पता	
3	मोबाइल नंबर	
4	दुकान के विवरण जिसके लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा रहा है	
5	..... दूकान के मासिक लायसेंस शुल्क के लिए प्रस्तावित मासिक बोली मूल्य (अंकों में) (कृपया दूकान की श्रेणी का उल्लेख करें)	रु. ....

नोट :

1. न्यूनतम लाइसेंस शुल्क से कम मूल्य की बोली पाए जाने पर बोली पर विचार नहीं किया जाएगा |
2. सर्वाधिक मूल्य की बोली लगाने वाले बोलीदाता की निविदा स्वीकार की जाएगी |
3. सामान राशि की एक से ज्यादा बोलियाँ होने की स्थिति में निविदा का निर्णय बोलीदाताओं की उपस्थिति में लॉटरी द्वारा किया जाएगा |

निविदाकार के हस्ताक्षर:-----

नाम :-----

पता:-----

मोबाइल न.:-----

**TENDER FORM FOR ALLOTMENT OF SHOP FOR RESTAURANT/AUTO  
GARAGE/VEGETABLE/PROVISION AND BAKERY/MILK BOOTH/BEAUTY PARLOUR/BOUTIQUE  
(STRIKE WHICH EVER IS NOT APPLICABLE) AGAINST TENDER NOTICE NO. ----- DATED-  
-----**

From :

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

To,

The President of India,  
Through : Administrative Officer  
Raja Ramanna Centre for Advanced Technology  
Administrative Building  
Indore – 452013.

Sub: Tender for allotment of Shop at Shopping Centre, RRCAT.

Sir,

With reference to your Tender Notice No. \_\_\_\_\_ dtd. \_\_\_\_\_, I hereby submit my tender for allotment of Shop for Restaurant / Auto Garage / Vegetable / Provision and Bakery/Milk Booth/ Beauty Parlour/Boutique (Strike whichever is not applicable) at RRCAT under the terms and conditions of allotment annexed thereto as follows-

S.No.	Particulars	Whether documents are to be submitted	Provide Information in this column
1	Name, full address, phone number, email etc of tenderer/firm	No	
2	Name of father (In case of Person) or owner's name (in case of firm or company)	No	
3	If partnership firm : a. Name and address of partners b. Whether registered under partnership act, 1932, Yes or No c. Name and signatures of managing partners	No	
4	Details of shop for which application for license is being applied	No	
5	Bankers cheque/Demand Draft/FD (issued from Nationalised/scheduled Bank) of Rs. 10,000/- in favour of Pay & Accounts Officer, Raja Ramanna Centre for Technology, Indore towards Earnest Money Deposit	Yes	No. .... Dated ..... Amount Rs. ....

6	Permanent Account No. (PAN) (attach copy of PAN card)	Yes	
7	Proof of residential address (Attach a copy of any one of the following documents for residential proof if bidder is a person. Aadhar card/passport/Voter Identity Card/Driving License.  (If bidder is other than above, then please indicate the class regarding Public Limited/ Private Limited/Partnership or Proprietorship firm and attach certificate of corporation)	Yes	
8	GSTN Registration, attach copy if available.	Yes / No (as the case may be)	
9	Highest Educational/Professional Qualification. (attach copies)	Yes	
10	Details of Income Tax Returns and present business for the last three years.		
11	Details of bidder's main bank account for the last six months.	Yes	
12	Details of relevant experience, if any.	Yes/No (as the case may be)	

Signature of the Tenderer : \_\_\_\_\_

Name : \_\_\_\_\_

Address :

Mobile \_\_\_\_\_

1. Bidders should take care of filling all points completely. Incomplete forms will not be considered.
2. Enclose experience certificate, firm registration certificate and xerox copy of aadhar and pen card along with the tender document. For restaurant, also attach FSSAI/Food license.
2. Any correction / overwriting must be attested with full signature.
3. Bid will be rejected if the proposed bid is less than the minimum license fee.

**PRICE BID FOR ALLOTMENT OF SHOP FOR RESTAURANT/AUTO GARAGE/VEGETABLE/PROVISION  
AND BAKERY/MILK BOOTH/BEAUTY PARLOUR/BOUTIQUE (STRIKE WHICH EVER IS NOT  
APPLICABLE) AGAINST TENDER NOTICE NO. ----- DATED-----**

I/we hereby, submit our price bid for allotment of shop for Restaurant/Auto  
Garage/Vegetable/Provision & Bakery/Milk Booth/Beauty Parlor/Boutique as following:

1	Name of Bidder/firm	
2	Full Address	
3	Mobile No.	
4.	Details of shop for which application for license has been made	
5.	Proposed Monthly bid price for monthly license fee (in figures) for ..... shop. (Indicate category of shop)	Rs.-----

**Note :**

1. Bid will not be considered if quoted amount is less than the minimum license fee.
2. Tenders of the highest bidder will be accepted.
3. In case of multiple bids carrying same amount, the tender will be decided by lottery in presence of bidders.

Signature of the Tenderer : \_\_\_\_\_

Name : \_\_\_\_\_

Address :

Mobile No. \_\_\_\_\_

आर आरकेट, इन्दौर में दुकानों के आबंटन हेतु निबंधन एवं शर्तें  
**TERMS AND CONDITIONS FOR ALLOTMENT OF SHOPS IN SHOPPING CENTRE, RRCAT, INDORE**

निविदा दस्तावेजों का प्रस्तुतिकरण/ SUBMISSION OF TENDER DOCUMENTS

1. निविदा प्रपत्र निःशुल्क है। निविदा में भाग लेने के इच्छुक बोलीदाता निविदा प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं और सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रारूप में आवेदन जमा कर सकते हैं। Tender Document is free of cost. Willing tenderer may download the tender document and may deposit the tender alongwith all necessary documents.
2. निविदा मोहरबंद लिफाफे में प्रस्तुत करनी चाहिए, लिफाफे पर "आरआर केट में ----- दुकान के आबंटन के लिए निविदा" लिखा होना चाहिए और इस कार्यालय में दिनांक ----- को ----- बजे तक या उससे पहले लेखा अनुभाग में रखे टेन्डर बॉक्स में डालना होगा। दिनांक ----- को ----- बजे के बाद प्राप्त निविदाएं स्वीकार्य नहीं की जाएगी। Tenders should be submitted in sealed envelope and envelope should be subscribed as "Tender for allotment of ..... shop in RRCAT". Tenders received after .....PM of ..... will not be accepted.
3. **बयाना जमा राशि/EARNEST MONEY DEPOSIT :-**  
कोई भी निविदा तब तक वैध नहीं मानी जाएगी, जब तक उसके साथ वेतन एवं लेखा अधिकारी, राजा रामन्ना प्रगत प्रोद्योगिकी केंद्र, इन्दौर के नाम पर बयाना जमा राशि के विरुद्ध रु. 10,000/- (राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक से जारी) बैंकर्स चेक /डिमांड ड्राफ्ट संलग्न नहीं होगा।  
No tender will be treated as valid unless it is accompanied by a Banker's cheque/Demand Draft (issued by a Nationalized/ Scheduled Bank) in favor of Pay & Accounts Officer, RRCAT, Indore for an amount of Rs. 10,000/- towards Earnest Money Deposit.
4. असफल निविदाकारों को बयाना जमा राशि बिना ब्याज के निविदा खोलने की तिथि के तीस (30) दिन के पश्चात या आबंटन के विचार के बाद, जो भी बाद में हो, वापस करने की व्यवस्था की जाएगी।  
Arrangement will be made to return the Earnest Money Deposit of unsuccessful tenders after a period of 30 days reckoned from the date of opening the tenders or after consideration of allotment, whichever is later without interest.
5. सफल निविदाकारों को बयाना राशि, सुरक्षा जमा राशि जमा करने के बाद ही लौटाई जाएगी। प्रतिभूति जमा राशि की वापसी आबंटन की निबंधन एवं शर्तों के आधार पर की जाएगी।  
Earnest Money of the successful tenderers' will be refunded only after submission and acceptance of Security Deposit. The refund of the security deposit will be subject to the terms and conditions of the allotment.
6. **अनुभव/ EXPERIENCE :-**  
निविदा देने हेतु व्यावसायिक अनुभव को ध्यान में रखा जाएगा। आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न किए जाए।  
Professional experience will be considered for awarding the tender. Necessary certificates may be enclosed.

**7. मुख्तारनामा/ POWER OF ATTORNEY :-**

यदि निविदाकार अपना कोटेशन स्वयं प्रस्तुत नहीं कर सकता / सकती है, तो उनके प्राधिकृत प्रतिनिधी को उनका मुख्तारनामा पेश करने के बाद ही निविदा देने की अनुमति दी जा सकती है, किसी भी निविदाकार की ओर से दी गई निविदा को बिना मुख्तारनामा के अवैध माना जाएगा ।

In case, the tenderer is unable to submit his/her quotation, his authorized representative shall be permitted to offer the tender only on production of power of attorney on his behalf. Tender on behalf of any tenderer without power of attorney shall be treated as invalid.

**8. पूंजी निवेश का प्रमाण/PROOF OF CAPITAL INVESTMENT :-**

निविदा फार्म के साथ, निविदाकार को आवश्यक प्रमाण देना होगा की 'उनके पास आरंभिक निवेश हेतु पूंजी उपलब्ध है जिससे वे दुकान शुरू कर सकते हैं, तथा बैंक पास बुक की जेराक्स प्रति या कारोबार चलाने के लिए किसी अन्य आर्थिक स्रोत एवं चालू पूंजी के विनिवेश का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा ।

Along with the Tender Forms, the tenderer should produce necessary proof to the effect that he/she is able to run the shop with an initial investment available with them. A Xerox copy of the Bank Pass Book or proof of any other financial source for running the business and to invest as a running capital, should be produced.

**9. आबंटन की सीमा/LIMITATION IN ALLOTMENT**

बोली लगाने वाला सभी दुकानों के लिए आवेदन कर सकता है किन्तु यदि बोली स्वीकार्य हो जाएगी तो एक ही दुकान का आबंटन किया जाएगा । यदि बोली लगानेवाला एक से अधिक दुकानों के लिए बोली लगाता है तो उसे अलग-अलग आवेदन पत्र के साथ प्राथमिकता देनी होगी ।

One bidder can apply for all the shops but the allotment shall be made for only one shop if the bid is accepted. The bidder will have to give order of preference by separate application in case he is bidding for more than one shop.

**10. प्रतिभूति जमा राशि/SECURITY DEPOSIT**

परिसर के आबंटन से पहले उल्लिखित लायसेंस शुल्क के बारह महीने के बराबर की राशि इस कार्यालय में जमानत राशि/प्रतिभूति राशि के रूप में भुगतान एवं लेखा अधिकारी, आरआरकेट , इन्दौर के नामे डी डी के द्वारा या सावधि जमा रसीद के द्वारा जमा करनी होगी जो इस कार्यालय के पास जमा रहेगी । आबंटिती द्वारा (अभी एवं बाद की) निर्धारित निबंधन एवं शर्तों का उल्लंघन करने पर इस केंद्र द्वारा इस आबंटन को समाप्त करने पर आबंटिती की प्रतिभूति जमा राशि को जब्त किया जाएगा । आबंटित परिसर के संबंध में आबंटन शुल्क और अन्य देयों के भुगतान हेतु और करार के उचित निष्पादन हेतु प्रतिभूति के रूप में जमा राशि आरआरकेट , इन्दौर के पास जब तक रहेंगी, तब तक इस पर ब्याज नहीं मिलेगा । जैसा की ऊपर दिए गए कारणों से यदि प्रतिभूति जमा राशि को काट दिया गया है तो आबंटित दस दिन के अन्दर जमा राशि का कुछ भाग या प्रतिभूति जमा राशि में से काटने के बाद की राशि नकद प्राप्त कर सकेगा ।

An amount equivalent to 12 months' license fee shall be remitted to this RRCAT, Indore, through Demand Draft drawn in favor of " Pay & Accounts Officer, RRCAT, Indore" or in the form of Fixed Deposit Receipt as Security Deposit before allotment of the premises which will continue to be held by this office;. The Security Deposit shall be forfeited in the event of termination of this allotment by this Centre as a consequence of violation of the terms and conditions (hereinafter set out ) by the allottee. The security deposit will fetch no interest so long as it remains with the RRCAT, Indore as security for due performance of the agreement and also for payment of the allotment fee and other dues in respect of the premises allotted. In the event of the security deposit being reduced by reasons of any such deduction, the allottee shall within 10 days thereafter make good by Demand Draft drawn in favor of Pay & Accounts Officer , RRCAT, Indore any sum or sums which may have been deducted from the security deposit or any part thereof.

**लाइसेंस विलेख/ LICENSE DEED.**

लाइसेंस शुल्क के आधार पर आर आर केट, इन्दौर स्थित दुकान नं ----- के आबंटन के लिए निबंधन एवं शर्तों पर अनुमति दी गयी है तथा दिनांक ----- से आरआर केट, इन्दौर में निम्नानुसार माना जाएगा |

TERMS & CONDITIONS FOR ALLOTMENT OF SHOP NO.\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ IN RRCAT, Indore-452 013 on license fee basis are granted and hereinafter agreed upon as follows at RRCAT, Indore-452 013 on this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_

**के बीच/BETWEEN**

1. भारत के माननीय राष्ट्रपति, जिनका प्रतिनिधित्व आरआरकेट , इन्दौर स्थित भारत सरकार, परमाणु उर्जा विभाग, के संपदा अधिकारी द्वारा किया जाता है, आगे से पहले भाग के मालिक के रूप में उल्लिखित किये जायेंगे |  
President of India, represented by the ESTATE OFFICER, RRCAT , Department of Atomic Energy, Government of India, having office at RRCAT, Indore -452 013, hereinafter referred to as OWNER of the first part:

**और/ AND**

2. श्री/श्रीमती/कु/मेसर्स -----सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी -----आयु----- वर्ष, व्यवसाय ----- भारत के रहवासी नागरिक, जिनका निवास /कार्यस्थल/व्यवसाय स्थल -----है (पूरा पता)  
Shri/Smt./Ms/Messrs. \_\_\_\_\_son/daughter/wife of \_\_\_\_\_ aged about years, occupation business, a resident Indian citizen, having residence/ place of work/business at (full address) \_\_\_\_\_

**या/ OR**

मेसर्स ----- भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के प्रावधानों के अधीन पंजीकृत, भागीदारी फर्म या मेसर्स -----कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अधीन पंजीकृत प्रायवेट लिमिटेड /पब्लिक लिमिटेड कंपनी जिसका मुख्यालय /पंजीकृत कार्यालय ----- (पूरा पता ) में स्थित है, जिसक प्रतिनिधित्व उसके भागीदार/प्रबंध निदेशक /सचिव/प्राधिकृत एवं सशक्त व्यक्ति द्वारा यहाँ किया जाता है, वे दुसरे भाग के आबंटिती के रूप में उल्लिखित किये जायेंगे |

\_\_\_\_\_ a partnership firm, registered under the Provisions of Indian Partnership Act, 1932, OR M/s. \_\_\_\_\_ a private limited/public limited company, registered under the provisions of Companies Act, 1956, having its head Office/registered office at (full address) \_\_\_\_\_ represented herein by its partner/managing director/secretary/authorized & empowered person hereinafter referred to as ALLOTTEE of the second part:

के बीच लाइसेंस विलेख/License Deed between

जबकि आरआरकेट , इन्दौर शासकीय गोपनीयता अधिनियम, 1923 एवं परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के अंतर्गत प्रतिबंधित एवं सुरक्षित क्षेत्र है, जहां भारत सरकार, परमाणु ऊर्जा विभाग भूमि, भवन एवं परिसर, जिनमें अन्य बातों के साथ साथ, संयंत्र, कार्यालय, स्टाफ क्वार्टर एवं स्टाफ कल्याण सुविधाएं आते हैं, का स्वामित्व, कब्जा एवं अधिकार रखता है ।

WHEREAS, RRCAT, Indore-452013 is a prohibited place and a security zone under Official Secrets Act, 1923, and Atomic Energy Act, 1962, where Govt. of India, Department of Atomic Energy owns, occupies and possesses lands, buildings and premises, which consist of, inter alia, plants offices, staff quarters and staff welfare amenities;

और जबकि, पहले भाग के उक्त मालिक ने लाइसेंस शुल्क के आधार पर दिनांक ----- से -----दिनांक तक तीन वर्षों की सीमित अवधि के लिए भारत के रहवासी नागरिकों को दुकान एवं व्यवसाय करने के स्थल के चयन एवं आबंटन हेतु सार्वजनिक सूचना जारी की है ।

AND WHEREAS, aforesaid owners of the first part had issued public notice for selection and allotment of shops and places to resident citizens of India for a limited period of three years from date of occupation of shop from .....to \_ \_ \_ \_ \_ on license fee basis;

और जबकि, उक्त आबंटिती, जिसने दिनांक ----- के अपने आवेदन/मांग पत्र/ निविदा द्वारा उक्त मालिक को आवेदन दिया है और जो ऐसी पार्टियों में से एक है जिनको लाइसेंस शुल्क के आधार पर ----- कारण से दुकान/व्यवसाय करने के लिए स्थल के आबंटन हेतु चुना गया था ।

AND WHEREAS, the aforesaid Allottee, who, by his application/ quotation/tender dated \_\_\_\_\_ had applied to the said Owner and is one of such parties who were selected for granting such allotment on license fee to run a shop/ place for plying trade for the purpose of \_\_\_\_\_.

अब आरआरकेट , इन्दौर, में लाइसेंस के आधार पर दुकान के आबंटन हेतु निम्नलिखित निबंधन एवं शर्तों को बतानेवाली यह लाइसेंस विलेख , निम्न की साक्षी रहेगी :

NOW THIS DEED OF LICENSE, laying down the following Terms & Conditions for Allotment of shop in RRCAT, Indore 452 013 on license basis, witnesses as follows:.

**आरआरकेट , इन्दौर में दुकानों के आबंटन हेतु निबंधन एवं शर्तें**  
**TERMS AND CONDITIONS FOR ALLOTMENT OF SHOPS IN RRCAT, Indore**

भाग-1/PART-1

**परिसर उपयोग का अधिकार/RIGHT FOR USE OF PREMISES**

1. आबंटिती केवल उक्त परिसर का ही आबंटिती समझा जाएगा और उसे उक्त परिसर का ही उपयोग एवं कब्जा करने का वैयक्तिक अधिकार तथा इसके साथ यदि उक्त परिसर या इसके किसी भाग का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए किया जाता है तो उसे आबंटन की शर्तों का भंग माना जाएगा ।  
The allottee shall be deemed to be a bare allottee only of the said premises having only a mere permission to use for specific occupation of the said premises and nothing herein contained shall be deemed to be a demise at law of the said premises or any part thereof so as to give the allottee any other interest therein for a specific time period.

2. अवधि/ PERIOD

यह आबंटन आबंटिती द्वारा उक्त परिसर पर कब्जा लेने की तिथि ----- से लागू रहेगा, बशर्तें इसे नीचे दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत समय से पूर्व समाप्त भी किया जा सकता है ।

This allotment will remain in force from the date of taking possession of the said premises by the allottee till \_\_\_\_\_, subject to its being terminated sooner as herein under provided.

प्रारंभ में दुकान तीन वर्ष के लिए आबंटित की जाएगी । आगे इसे अनुमोदित फार्मूले के अनुसार संशोधित लायसेंस शुल्क में अगले तीन वर्षों के लिए आबंटित किया जायेगा बशर्तें कि दुकान के आबंटन की कुल अवधि 15 वर्षों से अधिक न हो ।

Shop will be initially allotted for a period of three years. It shall be extended further every three years by revising the licence fee as per approved formula subject to the condition that total period of allotment of shop shall not exceed fifteen years.

3. परिसर का उपयोग/ USE OF THE PREMISES

उक्त परिसर का उपयोग विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए ही करना होगा । यदि परिसर का उपयोग निविदा में विनिर्दिष्ट किये गए प्रयोजन के अलावा किसी अन्य प्रयोजनों लिए आरआरकेट , इन्दौर से बिना लिखित अनुमति के किया जाएगा तो इसे आबंटन की शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा ।

The said premises shall be used only for the purpose specified. Use of the said premises for any purpose other than the one specified herein without the written permission of the RRCAT, Indore would be treated as a breach of the terms and conditions of the allotment.

- 4.

- i. प्रतिभूति जमा राशि/SECURITY DEPOSIT

परिसर के आबंटन से पहले उल्लिखित लायसेंस शुल्क के बारह महीने के बराबर की राशि इस कार्यालय में जमानत राशि/प्रतिभूति राशि के रूप में भुगतान एवं लेखा अधिकारी, आरआरकेट , इन्दौरके नामे डी डी के द्वारा या सावधि जमा रसीद के द्वारा जमा करनी होगी जो इस कार्यालय के पास जमा रहेगी । आबंटिती द्वारा (अभी एवं बाद की) निर्धारित निबंधन एवं शर्तों का उल्लंघन करने पर इस केंद्र द्वारा इस आबंटन को समाप्त करने पर आबंटिती की प्रतिभूति जमा राशि को जब्त किया जाएगा । आबंटित परिसर के संबंध में आबंटन शुल्क और अन्य देयों के भुगतान हेतु और करार के उचित निष्पादन हेतु प्रतिभूति के रूप में जमा राशि आरआरकेट , इन्दौर के पास जब तक रहेगी, तब तक इस पर ब्याज नहीं मिलेगा । जैसा की ऊपर दिए गए कारणों से यदि प्रतिभूति जमा राशि को काट दिया गया है तो आबंटित दस दिन के अन्दर जमा राशि का कुछ भाग या प्रतिभूति जमा राशि में से काटने के बाद की राशि नकद प्राप्त कर सकेगा ।

An amount equivalent to 12 months' license fee shall be remitted to this RRCAT, Indore, through Demand Draft drawn in favor of " Pay & Accounts Officer, RRCAT, Indore" or in the form of Fixed Deposit Receipt as Security Deposit before allotment of the premises which will continue to be held by this office;. The Security Deposit shall be forfeited in the event of termination of this allotment by this Centre as a consequence of violation of the terms and conditions (hereinafter set out ) by the allottee. The security deposit will fetch no interest so long as it remains with the RRCAT, Indore as security for due performance of the agreement and also for payment of the allotment fee and other dues in respect of the premises allotted. In the event of the security deposit being reduced by reasons of any such deduction, the allottee shall within 10 days thereafter make good by Demand Draft drawn in favor of Pay & Accounts Officer , RRCAT, Indore any sum or sums which may have been deducted from the security deposit or any part thereof.

ii. लायसेंस शुल्क /प्रतिपूर्ति / LICENCE FEE/COMPENSATION

आबंटिती उक्त परिसर के लिए तीन महीने का लायसेंस शुल्क/प्रतिपूर्ति की राशि रु. ----- का अग्रिम तिमाही के प्रथम माह के 10 वें दिन के अंदर प्रशासन अधिकारी आरआरकेट, इंदौर के कार्यालय में जमा करें | आबंटन रद्द होने या समाप्त होने की स्थिति में आबंटिती, लागू दर से अनुपातिक लायसेंस शुल्क, विद्युत् एवं जल खपत प्रभार एवं अन्य भुगतान का उक्त आबंटन के रद्द होने या समाप्त होने की स्थिति में आबंटिती, लागू दर से अनुपातिक लायसेंस शुल्क, विद्युत् एवं जल खपत प्रभार एवं अन्य भुगतान का उक्त आबंटन के रद्द/समाप्त होने की अवधि तक भुगतान करें | ऊपर उद्धृत लायसेंस शुल्क दिनांक - ----- तक लागू रहेगा | मध्यप्रदेश सरकार द्वारा भूमि मूल्य के संशोधन के आधार पर लायसेंस शुल्क को आगे संशोधित किया जाएगा | लायसेंस शुल्क /प्रतिपूर्ति का भुगतान, भुगतान एवं लेखा अधिकारी, आर आर केट, इंदौर के नामे डी डी के माध्यम से किया जाना चाहिए |

The allottee shall pay quarterly licence fee/compensation of Rs. \_\_\_\_\_ /- in the Office of the Administrative Officer, RRCAT, Indore Management in advance before the 10th day of first month of the relevant quarter for the purpose of use of the said premises for which it is meant. In the event of allotment being revoked or terminated, the allottee shall pay a proportionate part of the licence fee at the rate in force, as well as proportionate charges for electricity and water consumption and other payments hereby reserved for the fraction of the relevant period upto the date of such revocation or termination. The licence fee quoted above will be in force till \_\_\_\_\_. Further revision of the Licence fee is subject to revision as approved by the Department of Atomic Energy and will be revised periodically.

iii. वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)/GOODS AND SERVICES TAX

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लायसेंस शुल्क से अलग है | प्रभावी लायसेंस शुल्क पर भारत सरकार द्वारा लागू दर पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) भी देय होगा |

Licence Fee is exclusive of Goods and Services Tax (GST). GST as prescribed by Government of India on the applicable rate will also be payable.

iv. सुविधा प्रभार/ AMENITIES CHARGES

आबंटित को उनके कब्जे वाले उक्त परिसर के लिए परिसर में लगे गए बिजली के मीटर द्वारा रिकार्ड की गयी खपत के सभी बिजली प्रभार भी देने होंगे | आबंटित को निम्नलिखित अन्य प्रभार भी देने होंगे :

The allottee shall, with reference to the said premises in his occupation, bear all charges for electricity as per consumption recorded by the energy meter installed at the premises. The allottee shall also bear the following other charges:

a. आरआरकेट द्वारा समय-समय पर संशोधित लागू जल प्रभार |

Water charges as revised from time to time by the RRCAT.

b. नगर पालिका निगम, इंदौर द्वारा भविष्य में नियत सभी लागू स्थानीय कर(सामान्य कर, जल सुविधा प्रभार, मल-व्यवस्था सुविधा प्रभार और अन्य लागू कर, शुल्क उगाही इत्यादी) एवं भविष्य में केन्द्रीय/राज्य एवं महानगरपालिक, सांविधिक निकायों इत्यादी द्वारा उगाही योग्य कर देने होंगे |

All applicable local taxes (General tax, water benefit tax, sewerage benefit tax and any other applicable tax, fee, levy, etc.) as fixed by Municipal Corporation of Indore.

v. जमानत / SURETIES

आबंटिती को दो व्यक्तियों विशिष्ट रूप से/ विशेषतः पञ्च कर्मचारियों को या अन्य सरकारी कर्मचारियों को या जिनके पास अचल संपत्ति हो और उनकी ओर से जमानत दे सकते हैं, उनकी व्यवस्था करनी होगी | जमानती को निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक घोषणा करनी होगी |

The allottee shall arrange two persons preferably from DAE employees , any other govt. employees, or those with immovable assets who shall stand as sureties on his behalf. The sureties shall have to make necessary declaration in the form as prescribed.

आबंटित को आर आर केट इंदौर द्वारा किये हुए विद्युत्/जल प्रभार की तीन माह की राशि प्रशासन अधिकारी, आर आर केट, परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार, इंदौर- 452013 के पास जमा करानी होगी और जब तक उक्त राशि प्रशासन अधिकारी, आर आर केट, के पास प्रतिभूति के रूप में रखी जाएगी ,तब तक उस पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा |

The allottee shall deposit and keep deposited in the office of Administrative Officer, RRCAT, Department of Atomic Energy, Government of India, Indore-452013, a sum equivalent to three months assessed electricity/ water charge as decided by the first party which will fetch no interest so long as it remains with the RRCAT as Security Deposit.

5. विलम्ब से किये गए भुगतान हेतु दंड/ PENALTY FOR DELAYED PAYMENT

आबंटिती को संबंधित तिमाही के पहले माह की 10 तारीख के पहले लायसेंस शुल्क एवं सुविधा प्रभार तथा लागू जीएसटी का भुगतान करना होगा, अन्यथा निम्नानुसार विलम्ब भुगतान प्रभार देना होगा |

Delayed payment charges towards Licence Fee and Amenities Charges will have to be paid by the allottee in case the payment is not made before 10 of the first month of the relevant quarter as follows :-

क्र. सं.	अनुज्ञप्ति शुल्क प्रतिमाह (₹)	विलम्ब शुल्क (₹) (देय तिथि से एक माह तक)	दुगुना विलम्ब शुल्क(₹) (देय तिथि से एक माह पूर्ण होने के पश्चात )
1	1,500 तक तथा 1,501 से 3,000 तक	150	300
2	3,001 से 6,000 तक	300	600
3	6,001 से 9,000 तक	450	900
4	9,001 से 12,000 तक	600	1,200
5	12,001 से 15,000 तक	750	1,500
6	15,001 से ऊपर	1,000	2,000

भुगतान करने में दो माह से अधिक देरी होने पर आबंटन रद्द किया जाएगा |

If the payments are delayed by more than two months, the allotment is liable to be cancelled.

6. गलियारे/मार्ग में अड़चन/ OBSTRUCTION OF PASSAGE/PATHWAY

आबंटिती परिसर का उपयोग केवल व्यवसाय के उद्देश्य से ही करें | ऐसा करते समय आबंटिती गलियारे/मार्ग में कोई सामान न रखें जिससे जनता को आने-जाने में असुविधा हो | इस नियम का अनुपालन न करना आबंटन की निबंधन एवं शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा और पहली पार्टी के प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा आबंटिती का सामान हटा दिया जाएगा | इसके अलावा आबंटिती को परिसर से निकाल दिया जाएगा |

The allottee shall make use of ONLY the premises allotted for business purpose. In doing so, the allottee shall not keep any materials or belongings on the passage or pathway thereby obstructing free movement of the public. Non- compliance of this clause will be treated as a violation of the terms and conditions of the allotment and the materials will be removed by the authorised persons of the first party and in addition the allottee shall be liable to be evicted from the premises.

7. मूल्य सूची का प्रदर्शन/ DISPLAY OF PRICE LIST

आबंटिती /सहकर्मियों को हमेशा ग्राहकों से नम्र व्यवहार करना चाहिए | दुकान के आगे निविदा में दी गई दर ही प्रदर्शित करनी होगी |

The allottee/Co-workers shall always be polite to the customers. The rate displayed in the shop should be the quoted rate as per tender.

8. घातक रसायन /विस्फोटक वस्तुओं के संग्रह पर पाबंदी/ BAN AGAINST STORAGE OF HAZARDOUS CHEMICALS/EXPLOSIVE MATERIALS

आरआरकेट, इन्दौर तथा संबंधित अन्य प्राधिकारियों /सांविधिक निकायों जैसे विस्फोटक विभाग, पुलिस विभाग से बिना लिखित अनुमति के आबंटिती को कैरोसिन, पटाखे, एलपीजी गैस इत्यादी जैसे कोई घातक रसायन और विस्फोटक पदार्थ आबंटित परिसर में रखना, संग्रहित करना या बेचना नहीं चाहिए |

The allottee shall not keep, store or sell hazardous chemicals and/or explosive materials, such as kerosene, crackers LPG gas/gases etc. outside the premises allotted without special written permission from RRCAT, Indore as well as other authorities/statutory bodies concerned like the Department of Explosive, Police Department etc.

9. आबंटित परिसर में परिवर्तन/ परिवर्धन/ADDITIONS/ALTERATIONS TO PREMISES LICENSED

आबंटिती, प्रशासन अधिकारी, आर आर केट, इंदौर, परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार से पूर्व लिखित अनुमोदन प्राप्त किये बिना उक्त परिसर में भवन निर्माण में विद्युत् या सफाई व्यवस्था इत्यादी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन / परिवर्धन नहीं करेंगे |

The allottee shall not carry out any additions or alternations to the building, electrical or sanitary installations in the said premises without obtaining prior approval in writing of the Administrative Officer, Raja Ramanna Centre for Advanced Technology, Department of Atomic Energy, Government of India.

यदि यह पाया जाता है कि आबंटिती ने प्रारंभ में आबंटित स्थान से अधिक स्थान का उपयोग किया हो तो पहली पार्टी के पास अतिरिक्त स्थान के लिए लाईसेंस शुल्क लगाने एवं/ संरचना को हटाने एवं प्रारंभिक आवंटन पत्र के अनुसार उस स्थान को मूल शर्तों के अनुसार पुनः स्थापित करने का पूरा अधिकार होगा |

In case it is found that the allottee has utilised more space than initially allotted, the first party will have full right to charge licence fee for the additional space and/or it will have the right to dismantle the additional structure or space utilised unauthorisedly by the allottee and will have full powers to restore the space to its original condition as allotted in the initial allotment letter.

10. परिवर्तन/ परिवर्धन एवं लाभों की गणना पर व्यय/EXPENDITURE ON ADDITIONS/ALTERATIONS & ACCOUNT OF BENEFITS

उक्त परिसर में किये गये परिवर्तन व परिवर्धन का व्यय इस निविदा पत्र में दिए गये प्रावधानों के अनुसार आबंटिती को पहले करना होगा | आबंटिती उक्त परिसर के खाली करने या वापस करने या आबंटन को समाप्त करने पर परिवर्तन/ परिवर्धन हेतु किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का दावा करने का पात्र नहीं होगा | परन्तु इस प्रकार के परिवर्तन/परिवर्धन से लाभ पूर्णतः सरकार को होगा |

The expenditure incurred on additions or alternations made in the said premises in accordance with the provisions contained herein before shall be borne by the allottee who shall not be entitled to claim any compensation whatsoever in respect of such additions and alternations at the time of the vacation of the said premises or on the revocation or termination of this allotment, but the benefit of such additions and alterations shall exclusively accrue to the Government.

11. परिसर में हुई क्षति हेतु प्रतिपूर्ति /COMPENSATION FOR DAMAGE TO PRIMISES

उक्त परिसर में सामान्य टूट -फूट को छोड़कर किसी भी प्रकार की क्षति की मरम्मत करनी होगी | परिसर की हुई क्षति तथा क्षतिपूर्ति राशि संबंधी मामलों पर प्रशासन अधिकारी, आर आर केट , इंदौर का निर्णय अंतिम होगा एवं आबंटिती के लिए बाध्यकारी होगा |

The allottee shall make good any damage caused to the said premises, normal wear and tear being exempted. The decision of the Administrative Officer, RRCAT, Indore on the question whether any damage has been caused to the premises and amount of compensation which would make good such damage shall be final and binding on the allottee.

## 12. परिसर के हस्तान्तरण पर रोक/ BAN ON ASSIGNMENT OF PREMISES

आबंटिती उक्त परिसर या उसके किसी भाग को, जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी प्रयोजन हेतु किया जा रहा है, किसी भी परिस्थिति में आरआरकेट, इंदौर की पूर्व सहमती के बिना अनुमति नहीं दे और ऐसा नकारने पर वे स्वयं निष्कासन के लिए उत्तरदायी होंगे | आबंटिती किसी को भी भागीदार नहीं बना सकता और ना ही उक्त परिसर को या उसके किसी भाग को हस्तान्तरित कर सकता है या उक्त परिसर में किसी अन्य व्यक्ति के साथ व्यापार कर सकता है अथवा अपने हित में परिसर को दूसरे को सौंप सकता है |

The allottee shall not permit the said premises or any part thereof being used by any person for any purpose whatsoever other than the one agreed to by RRCAT, Indore and in default thereof, shall be liable for ejection. The allottee shall not introduce any partner nor shall he transfer possession of the said premises or any part thereof or otherwise carry on business in the premises with any other person or assign, transfer, change or otherwise alienate his interest in the premises.

## 13. (i) सहायकों का नियोजन/ ENGAGEMENT OF ASSISTANTS

आबंटिती व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए आर आर केट, इंदौर से पूर्व अनुमोदन लेकर अपने सगे संबंधियों /अन्य व्यक्तियों को विनियोजित कर सकता है | आबंटिती को दिनभर में अधिकतम समय के लिए स्टाल (दुकान) पर रहना चाहिए |

Relatives/others may be engaged by the allottee for his/her help for smooth running of the business with the prior approval of RRCAT, Indore. The allottee should be present in the stall for the major part of the day.

(ii) आबंटितीयों को स्वयं एवं अपने सहायकों के लिए आर आर केट, इंदौर द्वारा समय -समय पर निर्णित आवश्यक भुगतान पर एवं आवश्यक पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रवेश अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा | आबंटिती /सहायको को टाउनशिप में उपस्थित रहने पर प्रवेश अनुज्ञा - पत्र अपने साथ रखना होगा और जिनके पास प्रवेश अनुज्ञा -पत्र नहीं होगा उन्हें आबंटिती परिसर में व्यापार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी एवं उन्हें अतिचारी घोषित किया जाएगा और वे अभियोजन के लिए उत्तरदायी होंगे |

The allottees are required to obtain entry permits for self and his/her assistants on necessary payment as decided by this Centre from time to time and on production of necessary police verification certificate. Allottees/Assistants shall possess valid entry permit on person during their presence in the Township and those without entry permit will not be permitted to operate from the premises allotted and they are declared trespassers and will be liable for prosecution.

## 14. परिसर को उप किरायेदारी पर देना निषिद्ध है/ SUB-LETTING OF PREMISES IS PROHIBITED.

यदि यह पाया जाता है के आबंटिती दुकान नहीं चला रहे है तो दुकान का आबंटन रद्द कर दिया जाएगा | In case, the allottee is not found running the shop, the allotment of shop will be cancelled.

## 15. आबंटन को समाप्त करना/ TERMINATION OF ALLOTMENT

### 15.1 निष्कासन/ EJECTION

आर आर केट, इंदौर को देय लाईसेंस शुल्क, उपकर, दरों एवं करों, बिजली एवं जल प्रभार या देय अन्य राशि का भुगतान नहीं करने पर, आबंटिती को, सरकारी स्थान से निष्कासित किया जाएगा जैसा कि इसके पहले उपबंधित किया गया है |

The allottee shall be liable to be evicted from the said public premises for default of payment of licence fee, cess, rates and taxes and water and electricity charges or any other dues payable to the RRCAT, as provided herein before.

## 15.2 आबंटन समाप्ति की सूचना/ NOTICE FOR TERMINATION OF ALLOTMENT

आबंटिती को निर्धारित आबंटन समय से पहले दुकान वापस करने के लिए का से कम एक माह पूर्व लिखित सूचना देनी होगी। आबंटिती को नोटिस देते समय दुकान खाली करनेसे पूर्व यदि कोई लाईसेंस शुल्क बकाया है तो, उसका भुगतान करना होगा। ऐसा न करने पर सुरक्षा जमा राशि का उपयोग बकाया राशि यदि कोई है या आवश्यक विधिक खर्च जो अभी तक बकाया है, को वसूलने के लिए उत्तरदायी होगा। इसी प्रकार आरआर केट, इंदौर भी आबंटिती को उक्त आबंटन रद्द करने हेतु एक माह पूर्व लिखित नोटिस देगा एवं उक्त परिसर को निम्नलिखित कारणों से खाली करने हेतु कह सकता है।

The allottee shall give at least one month's notice in writing of his/her intention to surrender the shop sooner than that prescribed in the allotment. The allottee shall on submitting the notice pay the arrears of licence fee, if any, before vacating and in default, render himself / herself liable for forfeiture of security deposit and to be used for recovery of arrears, if any, still outstanding and necessary legal expenses. Similarly, RRCAT, Indore shall also give the allottee one month's notice in writing of cancellation of this allotment and call upon him to vacate the said premises for any of the reasons given herein under :-

## 15.3 आबंटन समाप्त करने के लिए कारण/ CAUSES FOR TERMINATION OF ALLOTMENT

- (i) यदि उपरोक्त खंड 4 के अंतर्गत यथा निर्धारित लाईसेंस शुल्क और अन्य प्रभार या इसका कुछ भाग निर्धारित तिथि के बाद आदि या कोई राशि बकाया रहेगी या आबंटिती इसकी निबंधन शर्तों और प्रतिज्ञा पत्र का पालन करने में या इसको मानने में या किसी भी समय असमर्थ पाया जाता है ध्यान नहीं देता है तो ऐसे किसी भी मामले में आर आर केट, इंदौर को आबंटिती एक माह पूर्व की लिखित नोटिस देने जैसे अन्य अधिकारों के पूर्वाग्रह के बिना आबंटन समाप्त कर सकता है एवं उक्त परिसर या उसके किसी भाग में पुनः प्रवेश कर सकता है। आबंटिती इस प्रकार के आबंटन के समाप्त होने पर किसी भी स्थिति में बिना किसी मुआवजे के शान्तिपूर्वक उक्त परिसर का कब्जा छोड़ देगा। इसके पश्चात यह आबंटन आबंटिती के निबंधन एवं शर्तें तथा प्रतिज्ञा -पत्र के किसी पूर्व उल्लंघन पर आर आर केट, इंदौर की कार्रवाई या उपाय इसके पश्चात यह आबंटन बिना आबंटन बिना किसी अधिकारों के पूर्वाग्रह के पूर्णतः समाप्त किया जाएगा।

If the licence fee and other charges as provided under clause 4 above or any part thereof shall at any time be in arrears or remain unpaid after the due date or if the allottee at any time fails or neglect to perform or observe any of the terms and conditions and covenants herein contained and to be observed on his part and performed by him and, in any such case, RRCAT, Indore may, without prejudice to other rights, by giving one month notice in writing to the allottee, terminate the allotment and re-enter upon the said premises or any part thereof. The allottee shall, upon such termination peacefully give up possession of the said premises without any right to compensation whatsoever and there upon this allotment shall absolutely terminate without prejudice to any right to action or remedy of the RRCAT, Indore in respect of any antecedent breach of terms and conditions and covenants on the part of the allottee.

- (ii) उपरोक्त खंड (1) के अंतर्गत उस प्रकार के आबंटन की समाप्ति पर आबंटिती, आबंटन के समाप्ति करने की तिथि से भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अंतर्गत आर आर केट, इंदौर द्वारा बंधारित की गयी क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और आबंटिती को किसी प्रकार की आपत्ति करने का हक नहीं होगा।

Upon such termination of this allotment under sub-clause (i) above, the allottee shall be liable to pay compensation as determined by the RRCAT, Indore under the rules framed by the Government of India from the date this allotment is terminated and the allottee shall not be entitled to raise any objection whatsoever.

#### 15.4 स्वतः समाप्ति/IPSO FACTO TERMINATION

किसी भी परिस्थिति में दुकान चलाने के अधिकार का हस्तान्तरण नहीं किया जाएगा और ऐसा करने पर आबंटन रद्द किया जाएगा | यदि निम्नलिखित घटनाएं होती हो तो आबंटित का आबंटन बिना किसी क्षतिपूर्ति के एवं किसी पूर्व सूचना के स्वतः समाप्त हो जाएगा |

Under no circumstances the right to run the shop shall be transferred and on default the allotment shall be cancelled. This allotment shall stand IPSO facto terminated, without any right to compensation whatsoever to the allottee and without any notice of termination, in case of the following event, that is to say :-

- (i) यदि आबंटित, व्यक्ति के रूप में या फर्म होने के नाते, आबंटित फर्म के किसी भागीदारी की मृत्यु हो जाएगी या किसी समय दिवालिया निर्णीत किया जाएगा या उनके विरुद्ध संपत्ति देने के आदेश प्राप्त होते हैं या थोड़े समय के लिए लागू किसी दिवालिया अधिनियम के अंतर्गत क्षतिपूर्ति या किसी प्रकार का वाहन लेने पर या हस्तांतरण करने पर या ऋणदाताओं या अस्थगित भुगतान की प्रतिपूर्ति या नए भागीदार को बनाने पर या भागीदारी की स्थापना में परिवर्तन करने पर या यदि भागीदारी अधिनियम के अंतर्गत भागीदारी समाप्त करने पर

If the allottee being an individual or if a firm, any partner in the allottee firm shall die, or at any time be adjudged insolvent or shall have a receiver order for administration of his estate made against him or shall take any proceedings for liquidation or compensation under any Insolvency Act for the time being in force or has made any conveyance or assignment to this effect or enter into any arrangement or compensation with his creditors or suspend payment, or shall introduce a new partner or shall change the constitution of the partnership or if the firm be dissolved under the Partnership Act

अथवा/OR

- (ii) यदि आबंटित कंपनी होने के नाते संकल्प पारित करेगी या कोर्ट उसके समापन हेतु आदेश देगा या डिबेंचर (ऋण पत्र) धारकों की ओर से प्रबंधक या प्राप्तकर्ता नियुक्त किया जाएगा अथवा प्रबंधक नियुक्त करने के लिए कोर्ट या डिबेंचर होल्डरों के सामने परिस्थितियां उत्पन्न हुई होंगी बशर्ते आर आर केट द्वारा इस प्रकार के हुए या इसके बाद होने वाले इस प्रकार की समाप्ति की कारवाई या उपाय किसी अधिकार के बिना पूर्वाग्रह के किया जाएगा |

If the allottee being a company shall pass a resolution or the court shall make an order for the liquidation of its affairs or a receiver or manager on behalf of the debenture holders shall be appointed or circumstances shall have arisen, which entitled the court or debenture holders to appoint a receiver or manager provided always that such termination shall not prejudice any right of action or remedy which shall have accrued or shall accrue thereafter to the RRCAT, Indore.

#### 15.5 आबंटन समाप्ति के अन्य आधार/ OTHER GROUNDS FOR TERMINATION

आबंटित को उक्त परिसर का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए करना होगा जिसके लिए उसे परिसर आबंटित किया गया है एवं उसे उक्त परिसर के सामने आहात/खुली जगह, गली को साफ -सुथरा रखना होगा और किसी भी परिस्थिति में दुकान के आसपास के अहाते, गली, जो भी हो, में कोई अवरोध/ अतिक्रमण उत्पन्न नहीं करना चाहिए | यदि कभी भी किसी भी समय, सरकार को यह ज्ञात होता है कि आबंटित की सहमति या उसके बिना सहमति के अप्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा उक्त परिसर गली की या उनके सामने के आहाते/खुली जगह का प्रयोग होता है या दुकान की गली या खुली जगह / आहाते में आबंटित शोकेस इत्यादि या किसी भी वस्तुओं को जमा करके रखता है या दुकान की गली में या आहाते /खुली जगह में किसी भी प्रकार की गतिविधियां चलाता है जिससे अन्य आबंटितियों या ग्राहकों के चलने फिरने में अवरोध या बाधा उत्पन्न होती है या उससे उपद्रव होता है या किसी अन्य आबंटित को कष्ट होता है तो, पहली पार्टी तत्काल आबंटन को समाप्त करने के लिए हकदार होगी |

The allottee shall make use of the said premises for the purpose of business only for which it is given and in doing so keep the compound/open space, surroundings and lane or by-lane in front of the said premises clean and clear and he/she shall not cause any obstruction or encroachment whatsoever in the compound, lane, or by lane of the shop under any circumstances. If at any time, it comes to the notice of the Government that the compound/open space in front of the said premises or lane or by-lane of the shop is being used by an unauthorised person, with or without the knowledge of the allottee or that the allottee has put up any hoardings, showcases, etc. or stocked any goods in the compound/open space or lane or by-lane of the shop or is carrying on any activities in the compound/open space, lane or by-lane of the shop which obstruct normal movement of the customers or any other allottee(s) or which causes nuisance to any other allottee, the first party shall be entitled to terminate the allotment forthwith.

16. शांतिपूर्ण रूप से वापस सौंपना /HANDING OVER PEACEFUL POSSESSION

आबंटिती, आबंटन के प्रतिहरण या समाप्ति पर उक्त परिसर का कब्जा सामान्य टूट-फूट को छोड़कर, जिस स्थिति में आबंटन के समय दुकान मिली थी, उसी स्थिति में खाली करके आरआरकेट, इंदौर को सौंप दें

The allottee shall on revocation or termination of this allotment, handover vacant and peaceful possession of the said premises to the Raja Ramanna Centre for Advanced Technology, in as good a condition as it was on the date of allotment, normal wear and tear being exempted.

17. उपद्रव करने पर प्रतिबन्ध / BAN ON CAUSING NUISANCE

उक्त परिसर का उपयोग किसी ऐसे प्रयोजन लिए नहीं करना होगा जो प्रशासन अधिकारी, आर आर केट, इंदौर की नजर में कालोनी में उपद्रव का स्रोत हो या आरआरकेट/सरकार को परेशान करने वाला हो | यदि आबंटिती या उसका व्यवसाय उपद्रव का स्रोत है या परेशानी का कारण है तो इस संबंध में प्रशासन अधिकारी, आर आर केट, इंदौर का निर्णय अंतिम होगा |

The said premises shall not be utilized for any purpose which, in the Opinion of the Administrative Officer, RRCAT is likely to be a source of nuisance in the colony or to be a cause of embarrassment to the RRCAT/Government. As to whether the allottee or his/her business is a source of nuisance or is causing embarrassment, the decision of the Administrative Officer, RRCAT shall be final.

18. नोटिस के लिए पता/ ADDRESS FOR NOTICES

आबंटिती को आबंटन की शर्तों के अधीन उक्त परिसर के दरवाजे के बाहर या परिसर के किसी भी स्पष्ट जगह पर चिपकाई जाने वाली या आबंटिती द्वारा दस्तावेज में दिए गए पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेजे जाने पर यह समझा जाएगा की आबंटिती को सूचना (नोटिस) दे दी गई | आबंटिती के पते में यदि कोई परिवर्तन हो तो उसे अविलम्ब विधिवत रूप से प्रशासन अधिकारी, आर आर केट इंदौर के ध्यान में लाया जाए |

Any notice to be given to the allottee under the terms of this allotment shall be considered to be duly served if the same shall have been affixed to the outer door or any other conspicuous part of the said premises or sent by registered post to the address of the allottee as given by him/her in this deed. Any change of address of the allottee shall be duly notified to the Administrative Officer, RRCAT without delay.

19. दुकान बंद करना /CLOSURE OF SHOP

सभी दुकानें प्रतिदिन प्रातः 1000 बजे से रात्रि 2100 बजे (एक घंटे के भोजन अवकाश सहित) के दौरान खुली रहजेगी | मिल्क बूथ का समय प्रातः 0600 से 1000 तक तथा सायं 1700 से 1900 तक रहेगा | ( यह प्रत्येक दुकान पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए )

All the shops are required to remain open during 10:00 hrs. to 21:00 hrs. (with lunch break of one hour. ) every day.. Milk booth timing should be from 06:00 a.m. to 10:00 a.m. and 05:00 p.m. to 07:00 p.m. **The same should be displayed at each shop.**

## 20. आवश्यक लाईसेंस/ NECESSARY LICENSE

आबंटिती को राज्य सरकार, इंदौर नगर पालिका निगम/ जन स्वास्थ्य विभाग और अन्य प्राधिकारियों से अनुमति जहाँ आवश्यक हो प्राप्त करनी होगी और प्राप्त व्यवसाय प्रमाणपत्र की एक प्रति पहली पार्टी को रिकार्ड हेतु भेजनी होगी |

The allottee shall obtain licence/permission from the State Govt./Municipal Corporation of Indore/Public Health Dept. and other authorities wherever necessary and endorse a copy of occupation certificate to the first party for records.

## 21. नियत समय से पहले वापस करना/PREMATURE SURRENDER

यदि आबंटिती अपने आबंटन के तीन माह के अन्दर दुकान वापस करता है तो आबंटिती से छह माह के बराबर लाईसेंस शुल्क वसूल किया जाएगा और दंड के रूप में सुरक्षा जमा से समायोजित किया जाएगा |

In case an allottee desires to surrender the shop within 3 months of its allotment, an amount equivalent to licence fee of six months will be levied on the allottee and adjusted from the Security Deposit as penalty.

## 22. सक्षम प्राधिकारी /COMPETENT AUTHORITY

इस आबंटन पत्र के साथ व आर आर केट, इंदौर की ओर से दी जाने वाली सभी अन्य सूचनाएं और की जाने वाली सभी कार्रवाईयां या आरआरकेट /सरकार की ओर से लिए जा सकने वाली कार्रवाईयों या दिए जा सकने वाली सूचनाओं के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में, प्रशासन अधिकारी, आर आर केट, इंदौर या निदेशक आर आर केट, परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार, इंदौर -452 013 द्वारा पदनामित कोई अधिकारी जिन्हें उस समय के लिए प्रशासन अधिकारी के कार्य और शक्तियों को प्रदान किया गया है |

Subject to as herein before otherwise provided all notices to be given and all other actions to be taken on behalf of the Raja Ramanna Centre for Advanced Technology / Government may be given or taken by the Administrative Officer, Raja Ramanna Centre for Advanced Technology, Indore or any officer for the time being entrusted with the functions, duties and powers of the said Administrative Officer or any officer so designated by Director, Raja Ramanna Centre for Advanced Technology, Department of Atomic Energy. Government of India, Indore -452 013.

## 23. निरीक्षण करने के लिए आरआरकेट, इंदौर का अधिकार/RRCAT. INDORE RIGHT OF INSPECTION

इसमें होते हुए इससे आबंटिती को कोई अधिकार, या उनके हित में कुछ नहीं रहेगा तथा आबंटिती को आबंटन हेतु दी गई अनुमति केवल आबंटन मात्र है तथा आबंटिती को परिसर का प्रयोग या उसमें व्यवसाय जैसे आबंटन में दिया गया है केवल उसी निर्दिष्ट प्रयोजन हेतु जैसा इसमें उल्लिखित है करना होगा तथा प्रशासन अधिकारी, आर आर केट, इंदौर और उनके अधिकारियों और कर्मचारियों और प्रशासन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत अन्य व्यक्तियों को परिसर में निरीक्षण के लिए प्रवेश करने का और परिसर का प्रयोग आबंटन के नियमों और शर्तों के अधीन आबंटिती कर रहा है या नहीं, इसके निरीक्षण का अधिकार होगा |

Nothing herein contained shall create any right, title or interest in favour of the allottee and the right of occupancy granted to the allottee is a bare allotment and the allottee shall use and occupy the premises as by way of the allotment only and for the Specified purpose set out herein and that the Administrative Officer of Raja Ramanna Centre for Advanced Technology, Indore and his officers and employees and other persons authorised by him shall be entitled to enter the premises for inspection and for determining whether the allottee is using the premises as per the terms and conditions allotted to him.

मंजूर किया गया आबंटन ऊपर उल्लिखित किसी भी निबंधन और शर्तों के भंग करने पर समाप्त किया जा सकता है। प्रशासन अधिकारी, आरआर केट बयाना जमा राशि /जमानत राशि/प्रतिभूति राशि को जब्त करने का अधिकार रखते हैं और ऐसी स्थिति में आबंटिती उस जगह को शांतिपूर्वक छोड़कर समाप्ति के दिन से अपना सभी सामान आबंटन के असमाप्त अवधि के लिए बिना प्रतिपूर्ति के ही खाली करेगा।

The allotment so granted will be liable to be terminated for breach of any of the terms and conditions enumerated above and the Administrative Officer, RRCAT reserves the right to forfeit the Earnest Money Deposit/Caution Money Deposit/Security Deposit paid, and in that case the allottee shall quit and vacate the area peacefully and shall remove all his/her belongings from the date of termination of the allotment without claiming any compensation for the un-expired period of the allotment.

24. यह माना एवं समझा जाता है कि यह आबंटन सार्वजनिक परिसर (अप्राधिकृत अधिभोगी की बेदखली ) अधिनियम, 1971 के प्रावधानों एवं उसके अंतर्गत जारी केंद्रीय नियमों के अधीन होगा। आगे यह भी माना एवं समझ लिया जाता है कि लाईसेंस आधार पर यह आबंटन दिनांक ----- से प्रभावित होगा।

It is agreed and understood that this allotment will be subject to the provisions of Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupants) Act, 1971 and Central Rules enacted thereunder. It is further agreed and understood that this allotment on license fee basis comes into effect from date of occupation of the shop.

25. क्षतिपूर्ति बंधपत्र : **INDEMNITY CLAUSE:**

आबंटिती एतद द्वारा दुकान के मालिक (आरआरकेट ) किसी क्षति से बचाने एवं क्षतिपूर्ति करने का वचन देता है और इस दुकान के आबंटन संबंधी उभरने वाले सभी प्रकार के विधिक उत्तरदायित्व, दावे, क्षति एवं श्रमिक वेतन व देय (श्रमिक क्षतिपूर्ति) सहित लागत, कोइ तीसरी पार्टी दावा (उदा. मोटर दुर्घटना दावा ), प्राकृतिक आपदा अथवा मनुष्य निर्मित दुर्घटना, आग, बाढ़ संबंधी दावे को निभाने का वादा करता है। आगे, इस दुकान के आबंटन संबंधी यह भी समझा एवं माना जाता है कि प्राकृतिक आपदा अथवा मनुष्य निर्मित दुर्घटना, आग बाढ़ के कारण होने वाली किसी भी क्षति, हानि या लागत के लिए आबंटिती द्वारा मालिक को उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा।

The Allottee hereby undertakes and promises to save and indemnify the Owner and stands as surety, from all kinds of legal liabilities, claims, damages and costs, including labour wages and dues (e.g. workmen's compensation), any third party claims (e.g. Motor accident claims), claims arising from accidents, fire, flood, force majeure or man-made, which may arise in connection with this allotment of shop. It is also agreed and understood that the Owner will not be held responsible by the Allottee for any loss, damage or cost arising from any natural calamity, accident, fire, flood or similar occurrences in connection with this allotment of shop.

26. निबंधन एवं शर्तें (करार) रू. 100/- के गैर न्यायिक साधारण स्टैम्प पर निष्पादित करना होगी।

The terms and conditions (agreement) will have to be executed on non-judicial general stamp of Rs.100/-.

अनुरक्षण/ Maintenance

1. आबंटिती को हमेशा दुकान के अन्दर एवं दुकान से कम से कम 3 मीटर के परिसर को साफ़- सुथरा रखना होगा | दुकानदारों को उनके कार्यों से उत्पन्न कूड़े के लिए समुचित आकार के स्वतन्त्र कूड़ेदान रखने होंगे | दूकानों के आस-पास खुले स्थान पर कूड़ा नहीं फेंका जाना चाहिए | दुकान में आते और जाते समय सभी दुकानदारों को कूड़े के उचित निपटान को सुनिश्चित करना होगा |  
The allottee must maintain cleanliness all the time inside the shop & also surroundings atleast 3 mtr. around the shop. The shopkeepers should arrange separate dustbins of sufficient size for disposal of waste generated. No litters to be thrown in open space surrounding the shops. At the time of the entry to shop and before leaving, all the shopkeepers should ensure proper disposal of waste.
2. दुकान के आबंटिती को उस परिसर में दुसरे आबंटितियों के साथ मिलकर उस पूरे क्षेत्र को साफ़-सुथरा रखना होगा |  
Shop allottee must jointly with other allottees in the vicinity, keep the entire area absolutely clean.
3. दुकान के आबंटिती को अपने दुकान के सामने बाकी आबंटितियों की तरह सूखे एवं गीले कचरों के लिए अलग-अलग कचरा पेटी रखनी होगी एवं क्षेत्र को साफ रखना होगा |  
Shop allottee must maintain separate garbage bin for wet and dry waste in front of his/her premises similar to all others and keep the area very clean.
4. कचरे को आरआरकेट के निर्दिष्ट कचरा क्षेत्र में डलवाना होगा |  
The garbage must be disposed off in the designated garbage area in RRCAT.
5. आबंटिती को आबंटन के समय जिस अवस्था में दुकान उनको आबंटित की गई थी, उसी अवस्था में उसको रखना होगा | उनको अपने खर्च से दुकान के अंदर सभी आवश्यक सिविल एवं जन स्वास्थ्य अनुरक्षण कार्यों को करवाना होगा |  
The allottee must maintain the shop in the same condition as at the time of allotment. He/She must carryout all necessary civil and Public Health maintenance works inside the shop on his/her own.
6. दुकान के ढाँचे में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा | अगर आबंटिती दुकान के अन्दर कुछ सुधार करवाना चाहते हैं तो उन्हें ड्राइंग के साथ अनुरोध प्रस्तुत करते हुए आरआरकेट का पूर्व अनुमोदन लेना होगा |  
No modification in the structure shall be done. In case the allottee desires to make improvements inside the shop, he/she must obtain prior approval of this RRCAT by submitting request along with drawing.
7. मीटर तक के विद्युत् अनुरक्षण का कार्य आरआरकेट द्वारा किया जाएगा |  
RRCAT will carry out electrical maintenance up to meter of the shop.
8. किसी भी मामले में, उस दुकान का विद्युत् लोड, उस दुकान के लिए आबंटित कुल लोड से अधिक नहीं होना चाहिए | दुकान के अंदर, अतिरिक्त विद्युत् व्यवस्था में कुछ बढोतरी करनी हो तो आबंटिती को ड्राइंग प्रस्तुत करते हुए केंद्र की पूर्व अनुमति लेनी होगी एवं उस कार्य का व्यय स्वयं वहन करना होगा | दुकानदार विद्युत् प्रभार का वहन करेंगे |  
In any case, the electrical load of the shop shall never exceed the total allocated load for the shop. For any augmentation of internal electrical arrangement inside the shop, the allottee must submit the drawing and obtain prior approval of the Centre and carry out work at his/her own cost. Electricity charges shall be borne by shopkeepers.
9. सभी दुकानदार, दुकान के बाहर उनकी भाव सूची रखेंगे |

All the shopkeepers shall display their rate list at the entry of the shops.

आबंटिती द्वारा भरा जाए / To be filled by allottee

में बिना शर्त के सभी निबंधन एवं शर्तों के लिए वचनबद्ध हूँ / I unconditionally commit to all the terms and conditions

आबंटिती के हस्ताक्षर/Signature of allottee

नाम/Name

दुकान संख्या/Shop No.

दिनांक/Date

टेलीफोन नं./Tel.Nos.

ई-मेल आई डी/email-id

साक्षी/Witness 2) दूसरी पार्टी आबंटिती/For second party Allottee

हस्ताक्षर/Signature \_\_\_\_\_

हस्ताक्षर/Signature \_\_\_\_\_

नाम/Name \_\_\_\_\_

नाम/Name \_\_\_\_\_

पदनाम/Designation \_\_\_\_\_

पदनाम/Designation \_\_\_\_\_

इकाई/Unit \_\_\_\_\_

इकाई/Unit \_\_\_\_\_

निम्न साक्षी के सामने पार्टियों में निम्नलिखित तिथि एवं वर्ष में हस्ताक्षर किये :

IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto have set their hands, in the presence of witnesses, on the day and year afore mentioned.

1) पहली पार्टी मालिक for first Party OWNER:

भारत के राष्ट्रपति की ओर से और उनके लिए  
For & on behalf of the President of India

हस्ताक्षर/Signature \_\_\_\_\_

नाम/Name \_\_\_\_\_

पदनाम/Designation : प्रशासनिक अधिकारी/ संपदा अधिकारी

Administrative Officer/Estate Officer

साक्षी/ Witness

हस्ताक्षर/Signature \_\_\_\_\_

हस्ताक्षर/Signature \_\_\_\_\_

नाम/Name \_\_\_\_\_

नाम/Name \_\_\_\_\_

पदनाम/Designation \_\_\_\_\_

पदनाम/Designation \_\_\_\_\_

इकाई/Unit \_\_\_\_\_

इकाई/Unit \_\_\_\_\_